

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / 39/आ.भू.अ./भुइयां/2016

नया रायपुर, दिनांक 03.01.17

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)
जिला
छत्तीसगढ़

विषय :- ऑनलाइन भुइयां सॉफ्टवेयर के डाटा सत्यापन बावत् ।
संदर्भ :- विभाग का पत्र क्रमांक एफ 6-146/सात-1/2014/8547, नया रायपुर
दिनांक 24.09.2015

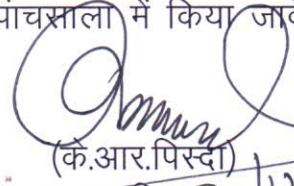
विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से ऑनलाइन भुइयां सॉफ्टवेयर में उपलब्ध डाटा का मिलान पटवारी के द्वारा संधारित खसरा पांचसाला में उल्लेखित प्रविष्टियों से करने के निर्देश पूर्व में दिये गये हैं। इसके बावजूद ऑनलाइन भुइयां सॉफ्टवेयर के डाटा एवं पटवारी के पास उपलब्ध खसरा में वर्णित डाटा में भिन्नता के संबंध में विभिन्न माध्यमों से समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिससे ऑनलाइन भुइयां सॉफ्टवेयर में उपलब्ध डाटा की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है, जो चिन्तनीय है।

संचालक भू-अभिलेख के द्वारा ऑनलाइन भुइयां सॉफ्टवेयर के डाटा के आधार पर राज्य के सभी ग्रामों के लिए खसरा पांचसाला की बुकलेट शासकीय प्रेस के माध्यम से तैयार कर जिलों को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रिंटेड खसरा पांचसाला के अवलोकन से ऑनलाइन भुइयां सॉफ्टवेयर में प्रथम दृष्टया निम्नलिखित त्रुटियां परिलक्षित हो रही हैं :-

1. कुछ खसरा नम्बरों का डाटा उपलब्ध नहीं है।
2. कुछ खसरा नम्बरों के डाटा की प्रविष्टि एक से अधिक बार की गई है।
3. कुछ खसरा नम्बरों के क्षेत्रफल एवं उसके भूमिस्वामी विवरण में त्रुटियां पाई गई हैं।
4. कुछ खसरा नम्बरों पर आरोपित भू-राजस्व की प्रविष्टि नहीं की गई है।
5. ऑनलाइन भुइयां सॉफ्टवेयर में फसल एवं बकाया भू-राजस्व की प्रविष्टि नहीं की गई है।
6. शासकीय भूमि के मद का स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है।
7. एक ही भूमिस्वामी द्वारा अलग-अलग धारणाधिकार में धारित भूमियों एवं परिवर्तित भूमियों के लिये पृथक-पृथक बसरा नंबर नहीं बनाया गया है।

स्पष्ट है कि ऑनलाइन भुइयां सॉफ्टवेयर के डाटा के परीक्षण एवं सत्यापन के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के पालन में कोई रुचि नहीं ली गई है। विभाग द्वारा भूमिस्वामियों द्वारा ऑनलाइन भुइया सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त की गई भू-अभिलेखों की ऑनलाइन प्रतिलिपि को ही कानूनी मान्यता देने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस हेतु सभी पटवारियों को डिजिटल सिग्नेचर प्रदाय किया जा चुका है। विभाग की इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु ऑनलाइन अभिलेखों का त्रुटिरहित होना आवश्यक है।

अतः निर्देशित किया जाता है, कि आगामी 1 माह के भीतर ऑनलाइन भुइयां सॉफ्टवेयर में की गई प्रविष्टि, संचालक, भू-अभिलेख के द्वारा उक्त डाटा के आधार पर सभी ग्रामों के लिए उपलब्ध कराये गये खसरा पांचसाला की बुकलेट तथा पटवारी के पास उपलब्ध खसरा पांचसाला में उल्लेखित प्रविष्टियों का मिलान उपरांत भिन्नता पाये जाने पर सही अभिलेख के आधार पर ऑनलाइन भुइयां सॉफ्टवेयर, संचालक, भू-अभिलेख के द्वारा उपलब्ध कराये गये खसरा पांचसाला तथा पटवारी के पास उपलब्ध खसरा में यथोचित संशोधन किया जावे, सत्यापन पश्चात् पटवारी के पूर्व से उपलब्ध खसरा को अभिलेखागार में जमा कराया जावे तथा भविष्य में अभिलेखों में होने वाले आवश्यक परिवर्तन ऑनलाइन भुइयां सॉफ्टवेयर एवं संचालक, भू-अभिलेख के द्वारा उपलब्ध कराये गये खसरा पांचसाला में किया जावे।


(के.आर.पिस्दा)

सचिव

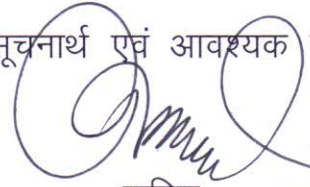
छत्तीसगढ़ शासन,

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

क्रमांक / ¹⁰ / आ.भू.अ. / भुइयां / 2016
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 03.01.17

1. संभागीय आयुक्त संभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. संचालक, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,